



Neutral Citation No.-2026:AHC:10802

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-24518 वर्ष 2024

धीरज सरन रस्तोगी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अभय मिश्रा, अमन कुमार, धर्मेन्द्र शुक्ला, वरद नाथ

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अमन कुमार और राज्य विधि अधिकारी श्री आरपी पटेल को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. यह आवेदक की ओर से 2019 के अपराध संख्या-304, भ०द०वि० की धारा 498-ए, 304-बी, 302 और डीपी अधिनियम की धारा 3/4, थाना-प्रेमनगर, जिला: बरेली के तहत जमानत की मांग करने वाली दूसरी जमानत याचिका है।
4. आवेदक की पहली जमानत याचिका को इस न्यायालय द्वारा 27.5.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जो आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-42080 वर्ष 2020 में पारित किया गया था।
5. एक नए आधार के रूप में, आवेदक के अधिवक्ता ने लंबे समय तक कैद के आधार पर जमानत की याचिका पर जोर दिया है, यह प्रस्तुत करते हुए कि आवेदक छह साल और चार महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है, इस तरह, कैद की अत्यधिक अवधि के कारण जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. तत्सम्य विपरीत, राज्य के विधि अधिकारी ने इस आधार पर जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है कि आवेदक मुख्य आरोपी व्यक्ति है और मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, इस तरह, वह जमानत के हकदार नहीं है।

7. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी थी और उसके अनुपालन में संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा 27.11.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं: -

"ननकन प्रसाद अ०सा०-1 की मुख्य परीक्षण और आंशिक जिरह 30.01.2023 को दर्ज की गई थी, जो उस दिन समाप्त नहीं हो सकी और बाद में 25.04.2023 को उनकी जिरह संपन्न हुई। नीरज अग्रवाल अ०सा०-2 की मुख्य परीक्षण और आंशिक जिरह 23.06.2023 को दर्ज की गई थी और उनकी जिरह 200 रुपये की लागत पर स्थगित कर दी गई थी, जो बाद में 07.07.2023 को संपन्न हुई। गवाह प्रदीप कुमार अ०सा०-10 की मुख्य परीक्षण और आंशिक जिरह 06.11.2025 को दर्ज की गई थी और अधिवक्ता के शोक सभा में भाग लेने के कारण उनकी शेष जिरह स्थगित कर दी गई थी।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ और विचारण न्यायालय की स्थिति रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, जो इंगित करती है कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं की गई है और यहां तक कि गवाह की जिरह के लिए मामले को स्थगित करने के लिए उस पर लागत भी लगाई गई थी, मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं लगता।

9. तदनुसार, जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले पर विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 एस.सी.सी. 702 के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 16, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)